उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या क0नि0–5–6912 / 11–2004 लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 2005 अधिसूचना

प0आ0-56

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिठत रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शिक्त का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से—

- (क) जिला बाराबंकी की सीमाओं में, जिला फैजाबाद के राजस्व उप जिला रुदौली के क्षेत्रों को सिम्मिलत करके,
- (ख) जिला फैजाबाद की सीमाओं में, राजस्व उप जिला रुदौली के क्षेत्रों को अपवर्जित करके, परिवर्तन करते हैं।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव।

The Governer is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-6912/XI—2004, dated February 14, 2005 for general information:

No. K.N.-5-6912/XI-2004 Lucknow. Dated February 14,2005

Notification

In exercise of the powers under section 5 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of the previous notification issued in this behalf, the Governor is pleased to alter with effect from the date of publication of this notification in the Gazette the limits of,

- (0) district Barabanki by including the areas of revenue sub-district Rudauli of district Faizabad,
- (b) district Faizabad by excluding the areas of revenue sub-district Rudauli.

By order, Sd/-illegible SHEKHAR AGARWAL, Pramukh Sachiv.